

सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के अंतर्गत श्री पुकेश कुमार साव पिता- स्व० राजेन्द्र साव एवं लीला देवी पति- जितेन्द्र साव , ग्राम- चमातू , थाना- बालुमथ जिला - लातेहार (झारखण्ड) को सी बी ए,1957 आधिनियम के तहत ग्राम- चमातू , थाना- बालुमथ जिला- लातेहार (झारखण्ड) थाना सं. 56 (रैयती भूमि) खाता सं. 206, 205, 91, 86, 41, 129 एवं 56. के अधीन प्लॉट सं. 928, 1266, 1880, 1992, 2493, 1845, 1852, 1853, 1854, 1860, 734, 736, 789, 790/2696, 1030, 1032, 1034, 663 एवं 455. कुल रकबा - 04.00 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के एवज में रोजगार का एक प्रस्ताव प्रोसेस किया गया है ।

अगर उक्त रोजगार पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपति हो तो वे इस सूचना के रप्रकाशन/ बेबसाईट http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti_empl_Ind.php पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से पंद्रह दिनों के अंदर सभी दस्तावेजो एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपति लिखित रूप में महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व), सी.सी.एल, राँची के समक्ष उठा सकते हैं ।

अगर उक्त पंद्रह दिनों के अंदर कोई आपति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा ग्राम- चमातू, थाना- बालुमथ जिला- लातेहार (झारखण्ड) को सी बी ए,1957 आधिनियम के तहत ग्राम- चमातू , थाना- बालुमथ जिला - लातेहार (झारखण्ड) थाना सं- 56 (रैयती भूमि) खाता सं. 206, 205, 91, 86, 41, 129 एवं 56. के अधीन प्लॉट सं. 928, 1266, 1880, 1992, 2493, 1845, 1852, 1853, 1854, 1860, 734, 736, 789, 790/2696, 1030, 1032, 1034, 663 एवं 455. कुल रकबा - 04.00 एकड़ भूमि के तहत श्री पुकेश कुमार साव पिता- स्व० राजेन्द्र साव एवं लीला देवी पति- जितेन्द्र साव, ग्राम- चमातू , थाना- बालुमथ जिला -- लातेहार (झारखण्ड) को सी बी ए,1957 आधिनियम के तहत ग्राम- चमातू , थाना- बालुमथ जिला- लातेहार (झारखण्ड) के रोजगार प्रस्ताव पर कोई भी आपति नहीं है ।

सिन्ध

विशेषा कुमार
१६/०५/२०२२